सं.18011/1/2010-स्था.(ग)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 110001

दिनांक 30 अगस्त, 2010

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाओं में स्थायीकरण के बारे में समय से दिशानिर्देश जारी करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका सं. 2007 की 596 (खीजिया मोहम्मद मुजाम्मिल बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की अपील) में दिनांक 8.7.2010 के अपने निर्णय में परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् स्वतः समझे गए/माने गए स्थायीकरण के विवाद की जांच की। विभिन्न निर्णयों की जांच करने के उपरांत उच्चतम न्यायालय की सुविचारित राय यह थी कि क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह संबंधित मामले के तथ्यों तथा मौजूदा संगत नियमों पर निर्भर करेगा।

2. निर्णय के पैरा 22 में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"इससे पहले जब हम इस फाइल से अलग हों इस न्यायलय द्वारा यह संज्ञान लिया और यह घोषित किया जाना अपेक्षित है कि संबंधित प्राधिकारी शीघ्रता के साथ तथा संगत नियमों की मूल भावना के अनुसार कार्य करने में असफल रहे हैं" नियमावली 1977 के नियम 5 (2) में 'यथाशीघ्र' अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है जो स्पष्ट रूप से नियम-निर्माताओं को स्पष्टतया तात्कालिकता सूचित करने वाले तथा किसी भी मामले में उपयुक्त समय की संकल्पना की स्वीकार्यता वाले प्रयोजन को दर्शाती है जिससे मामलों से होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी। अपीलकर्ता के मामले में यह पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है लेकिन आमतौर पर ऐसा हर कदम उठाया जाना चाहिए जो प्रशासनिक मामलों में पक्षपात या मनमानी को दूर कर सके, भले ही चाहे स्वयं उच्च न्यायालय सहित कोई भी संबंधित प्राधिकारी हो। काफी समय पहले, शिव कुमार शर्मा बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (1988) एसयूपीपी.एससीसी 699] मामले में इस न्यायालय के संज्ञान में यह मामला आया कि परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने को रिकार्ड करने में हुए विलंब के कारण जहां कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत हो गए थे, वहां प्राधिकारी की कार्रवाई एकपक्षीय थी तथा इसमें उसी प्रकार दोहरे दंड की सजा हुई। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

'जबकि सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करने की आवश्यकता होती है अतः उस अधिकारी को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् स्थायी करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान कोई सरकारी सेवक अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। दूसरी ओर, यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति होगी। स्थायीकरण का पुराना नियम जो अभी लागू है इससे कार्यकारी अधिकारियों को मनमाने ढ़ग से या दुर्भावनापूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होता तथा इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है। अब सयम आ गया है कि सरकार और अन्य प्राधिकारियों को इस मामले पर विचार करना चाहिए तथा सरकारी सेवकों को एकपक्षीय कार्रवाई का शिकार बनने से बचाना चाहिए।

हम इस सिद्धांत को सम्मान के साथ दोहराते हैं और अनुमोदन करते हैं तथा यह आशा करते हैं कि सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेवा का अभिशासन करने वाले नियमों के सामंजस्य में समयबद्ध कार्रवाई की जाए तथा कर्मचारियों/परिवीक्षाधीन कार्मिकों के विरूद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण परिणामों को टालने के लिए

हरसंभव प्रयास किए जाएं। न्यायालयों से ऐसे आदेश पारित करना अपेक्षित है जो ऐसे समान मामलों से उत्पन्न मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करें। संबंधित प्राधिकारी द्वारा समयबद्ध कार्रवाई एक ओर नियम को निष्पक्ष रूप से लागू करना सुनिश्चित करेगी वहीं दूसरी ओर उपयुक्त न्याय भी हो सकेगा। इससे व्यापक समझ तथा राज्यों तथा इसकी संस्थाओं की सभी शाखाओं में नियोक्ता- कर्मचारी संबंध सुधारने में भी वृद्धि होगी।"

3. इस मंत्रालय के दिनांक 28.3.1988 के का.ज्ञा.सं. 18011/186-स्था.(घ) (प्रति संलग्न) में ये अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि इसमें विनिर्दिष्ट कुछ अपवादों को छोड़कर सेवा में केवल एक बार प्रविष्टि ग्रेड में ही स्थायीकरण किया जाएगा। स्थायीकरण करने या परिवीक्षा बढ़ाने संबंधी समयबद्ध कार्रवाई पर दिनांक 28.8.1988 के का.ज्ञा.सं. 18011/2/98-स्था.(ग) के तहत अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। दिनांक 4.11.92 के का.ज्ञा.सं. 20011/5/90-स्था.(घ) में वरिष्ठता को स्थायीकरण से असम्बद्ध किया जा चुका है।

4. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन्हे सभी मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया जाता है।

ह०/-
(ममता कुंद्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपिः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. राज्य सभा, सचिवालय।
5. लोक सभा, सचिवालय।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषितः-

1. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
2. स्थापना अधिकारी एवं सचिव, एसीसी (10 प्रतियां)
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग।
4. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।